यह निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत के माह 04/2016 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भविष्य, वरि.लेखापरीक्षक एवं श्री एस.एस.राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.01.2019 से 24.01.2019 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई के क्रियाकलापों में अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, चयन, वेतनमान/ए.सी.पी. स्वीकृत स्थानांतरण, अवकाश, विद्यालयों का निरीक्षण एवं जिला योजना की समीक्षा आदि क्रिया कलाप संचालित किए जाते हैं एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत मुख्य मार्ग से 03 कि.मी. दूर श्रीखंड चौड़ में स्थित है। इकाई के अंतर्गत 04 विकास खण्ड क्रमशः चम्पावत, लोहाघाट, बाराकोट व पाटी है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	(+)	(-)
2016-17	-	-	44.67	44.65	71.20	71.20	-	0.02
2017-18	-	-	105.27	104.30	-	-	-	0.97
2018-19 (up to 12/2018)	-	-	113.12	102.77	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)/ बचत (-)**
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (up to 12/2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी सी (C) हैं ।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालय शिक्षा उतराखंड

↓

अपर सचिव

↓

महानिदेशक विद्यालय शिक्षा

↓

निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)

↓

मंडलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा)

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा

अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2016, एवं 11/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर–1: रु0 322.92 लाख कोषागार से आहरित धनराशि की प्रविष्टि रोकड बही में न किया जाना।

प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी फार्म जी0ए0आर0–3 में रोकड बही का रख–रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन–देनों के घटित होने पर उसमें प्रविष्टि करेगा। माह के अन्त में रोकड बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाण– पत्र स्वहस्तालेख में अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 3/xxvii(6)/2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के विन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय **जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत** की लेखापरीक्षा अवधि (04/2016 से 12/2018) की रोकड बही की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अप्रैल 2016 से **दिसम्बर** 2018 तक की कोई रोकड बही तैयार नहीं की गई थी, जबकि उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा बी0एम0–5 के अनुसार कोषागार से रु0 322.92 **लाख** की धनराशि आहरित कर व्यय की गई **(संलग्नक–1)**। लेखापरीक्षा दल द्वारा कोषागार के बी0एम0–5 का मिलान विस्तृत जॉच हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों से ही किया गया। कार्यालय में रोकड बही न होने के कारण अंकगणितीय शुद्धता की भी जॉच नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत** ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त लेन–देन ई–पेमेंट **होने** के कारण रोकड बही तैयार नहीं की गई। **नये वित्तीय** वर्ष से रोकड बही तैयार की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड बही का रख–रखाव कर प्रत्येक लेन–देन की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी।

अतः कोषागार से आहरित धनराशि रु0 322.92 **लाख** की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- रु. 6.00 लाख के निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना तथा रु. 47.50 लाख निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

कार्यालय जिलाधिकारी, चंपावत के पत्रांक: 1006/जि.यो.-प्र.वि.स्वी./2016-17, दिनाँक 08 नवम्बर 2016 एवं पत्रांक: 693/जि.यो.-प्र.वि.स्वी./2017-18, दिनाँक 20 सितम्बर 2017 तथा पत्रांक: 652/जि.यो.-प्र.वि.स्वी./2017-18, दिनाँक 11 सितम्बर 2017 द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चंपावत को जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु क्रमशः ₹ 70.00 लाख एवं ₹ 40 लाख (₹ 23.00 लाख तथा ₹ 17.00 लाख) की धनराशि निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त की गई थी-

1- स्वीकृत धनराशि एसे कार्यों पर व्यय न की जाय जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो,

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रगति विवरण जिला/विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध कराया जाय।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चंपावत के जिला योजना से संबन्धित निर्माण कार्यों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त कार्यों के निर्माण के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 में जिला पंचायत, चंपावत तथा वर्ष 2017-18 में ग्रामीण निर्माण विभाग, चंपावत को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था तथा समस्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की तिथि क्रमशः 31.03.2017 एवं 31.03.2018 निर्धारित थी।

वर्ष 2016-17 में जारी धनराशि के सापेक्ष ₹ 7.50 लाख (रा.प्रा.वि. सेलाकोटला पाटी चाहरदीवारी ₹ 4.00 लाख, रा.प्रा.वि.बुड़म चंपावत शौचालय ₹ 1.00 लाख एवं रा.प्रा.वि. रौलमेल पाटी चाहरदीवारी ₹ 2.50 लाख) तथा वर्ष 2017-18 हेतु जारी धनराशि ₹ 40.00 के **(कुल ₹ 47.50 लाख)** उपभोग प्रमाण-पत्र इकाई द्वारा कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि से 09 माह से 1 वर्ष 09 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात भी प्राप्त नहीं किए गए थे।

अग्रेतर उक्त कार्यों की मासिक प्रगति आख्या (दिनांक 31.07.2018) की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के निर्माण कार्यों में से रा.प्रा.वि. मटकांडा छत एवं मरम्मत (लागत ₹ 3.00 लाख) का निर्माण कार्य मात्र 10% ही पूर्ण हुआ था एवं रा.प्रा.वि. फुरकियाझाला छत मरम्मत (लागत ₹ 3.00 लाख) का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया गया था जबकि उक्त कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 30.03.2018 थी। साथ ही माह जुलाई 2018 के पश्चात की मासिक प्रगति आख्या भी अभिलेखों में नहीं पायी गयी। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के समस्त निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी साक्ष्य इकाई के अभिलेखों में नहीं पाये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने बिन्दुवार उत्तर में बताया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्राप्त कर लिए जायेंगे, अत्यधिक वरसात के कारण कार्य बाधित रहा जिसका शीघ्र संज्ञान लेकर कार्य पूर्ण कराया जाएगा, कार्य स्थल पूर्व से विवादित नहीं था वर्तमान में स्थल परिवर्तन की कार्यवाही गतिमान है अतः धनराशि वापस नहीं मंगाई गई एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र इकाई को प्रेषित किए जाते है।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आगणन से अधिक तथा बिना आगणन प्राप्त किए धनराशि कार्यदायी संस्था को जारी ही नहीं की जानी चाहिये थी तथा अधूरे निर्माण कार्य भी निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाने चाहिये थे एवं पूर्ण निर्माण कार्य विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने चाहिये थे। इसके अतिरिक्त इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

अतः निर्माण कार्यों में ₹ 6.00 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहना एवं ₹ 47.50 लाख के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी**
----------इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है----------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
----------इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री सत्य नारायण	जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.)	19.09.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून "248195" को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.